कार्यालय– जिलाधिकारी, मेरठ।

आदेश

मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ के पत्रांकः सीएमओ/लू–प्रकोप/2025–26/1822 दिनांक 20.05.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में तापमान 40 डिग्री से अधिक होने के कारण लू–प्रकोप चल रहा है। ऐसे में स्कूल जाने वाले छात्रों को लू लगने की प्रबल सम्भावना बनी हुई है। लू लगने पर बच्चों में डिहाईड्रेशन तथा बीमार होने का खतरा बना रहता है, जिससे जान की भी क्षति हो सकती है। जनसामान्य एवं छात्र/छात्राओं के अभिभावकों द्वारा भी स्कूल उपरोक्त कारणों से बन्द किये जाने हेतु निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है।

अतः छात्र/छात्राओं के स्वास्थ्य पर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव के दृष्टिगत जनहित में जनपद में संचालित समस्त बोर्ड सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0, यू0पी0 बोर्ड, मदरसा बोर्ड, संस्कृत बोर्ड, अन्य बोर्ड एवं बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त समस्त विद्यालय (कक्षा–प्री–नर्सरी से कक्षा 12 तक) में निम्नानुसार आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेः–

1. जिन विद्यालयों में पूर्व से ही अवकाश घोषित है, वह विद्यालय यथावत् बन्द रहेगे।
2. प्री–नर्सरी, नर्सरी से कक्षा 08 तक समस्त विद्यालय दिनांक 31.05.2025 तक पूर्णतः बन्द रखे जाये।
3. जिन विद्यालयों में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कक्षा 09 से 12 तक यदि परीक्षाएं संचालित हो, उन्हें यथावत् शीध्र सम्पादित करा लिया जाये। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षाएं सम्पादित न होने की स्थिति में कक्षा 09 से 12 तक के विद्यालय भी दिनांक 31.05.2025 तक पूर्णतः बन्द रहेंगे।
4. जिन विद्यालयों में समर कैम्प (Summer Camp) का आयोजन किया जा रहा है, उन विद्यालयों में समर कैम्प का आयोजन यथावत् होता रहेगा।

उक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

21.05.2025

(डा0 वी0के0सिंह)
जिलाधिकारी,
मेरठ।

पृ0सं0:बो0प0/अव0/2158–69 /2025–26 दिनांकः 21–05–2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
3. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उ0प्र0, प्रयागराज।
4. संयुक्त शिक्षा निदेशक, प्रथम मण्डल, मेरठ।
5. नगर मजिस्ट्रेट, मेरठ/उप जिलाधिकारी, मेरठ/मवाना/सरधना।
6. जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ।
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
8. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मेरठ।
9. जिला सूचना अधिकारी, मेरठ।
10. समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या, (यू0पी0 बोर्ड/सी0बी0एस0सी0/आई0सी0 एस0 सी0, एवं अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुपालनार्थ प्रेषित।
11. समस्त सम्पादक, दैनिक समाचार–पत्र, जनपद मेरठ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना छात्रहित/जनहित में अपने सम्मानित समाचार–पत्र में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

जिलाधिकारी,
मेरठ।